

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/II/ 7548

दिनांक: 25.09.20

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत),
अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चूरू,
दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली,
नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं उदयपुर।

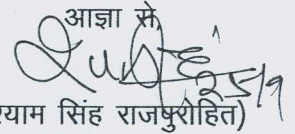
विषय:—पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, सितम्बर-अक्टूबर, 2020 — पंच एवं सरपंच
पद के निर्वाचन में मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश के संबंध में।
संदर्भ:—भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 78/ईपीएस/2019 दिनांक 30.09.2019

महोदय,

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के प्रावधान अन्तर्गत लागू होते हैं। उक्त धारा 135-बी के अन्तर्गत मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिये जाने की व्यवस्था है।

इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के अन्तर्गत उन कार्मिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का पात्र माना है, जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, किन्तु वे अन्यत्र पदस्थापित है।

अतः इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग का मत है कि भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 02 एवं 03 के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के माह सितम्बर-अक्टूबर, 2020 में पंच एवं सरपंच हेतु होने वाले चरणवार निर्वाचनों में चारों चरणों के लिए क्रमशः दिनांक 28.09.2020, 03.10.2020, 06.10.2020 एवं 10.10.2020 को ऐसे कार्मिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाए, जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, किन्तु अन्यत्र पदस्थापित है।

आज्ञा से

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव